# मेला प्रबन्धन निर्देशिका

राजस्थान एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश है और मेले और उत्सव यंहा के जीवन का प्रमुख हिस्सा है।

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष पर्यन्त धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं पर्यटनीय तथा पशुधन आदि मेलों में लाखों की संख्या में लोग सम्मलित होते हैं, अतः इन मेलों का प्रंबधन अहम हो जाता हैं।अनेक बार छोटी–से–छोटी अव्यवस्था या लापरवाही के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तथा मेलार्थियों की सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रशासन को प्रत्येक मेले के दौरान पूर्ण सावधानी रखनी आवश्यक है ताकि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही न हो। साथ ही प्रत्येक मेले के दौरान अगर दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उसके लिए पहले से ही पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, ताकि कम–से–कम जानमाल का नुकसान हो। इसके लिए राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं पर्यटनीय तथा पशुधन आदि मेलों के लिए मानक सुरक्षा प्रंबधन निर्देश बनाये है, जिसकी पालना प्रत्येक मेले के दौरान आवश्यक रूप से की जानी चाहिये।

प्रत्येक मेला क्षेत्र की भौगोलिक, धार्मिक, सारंस्कृतिक, क्षेत्रीय, आदि परिस्थितियाँ भिन्न–भिन्न होती हैं तथा मेलार्थियों का मनोविज्ञान भी अलग अलग होता हैं उसी अनुरूप आवश्यक व प्रभावी सुरक्षा उपाय लिए जाने चाहिए। सभी प्रमुख मेलों के लिए एक ही सुरक्षा योजना व्यवहारिक नही हो सकती, अतः मेला क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

सामान्यतया प्रत्येक मेला क्षेत्र की आधारभूत सुरक्षा आवश्यकता लगभग समान ही होती है।

प्रशासन को प्रत्येक मेले की समाप्ति के पश्चात् समीक्षा बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करनी चाहिए। बैठक में प्राप्त सुझावों व कमियों की समीक्षा करते हुए भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करनी चाहिए।

मानक सुरक्षा प्रबन्ध निर्देशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

1. मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था।
2. प्रमुख धार्मिक स्थल में सुरक्षा–व्यवस्था।
3. यातायात एवं पार्किग हेतु सुरक्षा व्यवस्था।
4. मेला नियन्त्रण–कक्ष।
5. पद यात्रांए व परिक्रमाएं।

# मुख्य धार्मिक/श्रृद्धा स्थल में सुरक्षा–व्यवस्था

मेला क्षेत्र में धार्मिक व श्रृद्धा स्थल प्रमुख होता है, जहां प्रत्येक मेलार्थी जल्द से जल्द अपनी श्रद्धा व्यक्त करने हेतु लालायित रहते हैं। अतः इस स्थल का प्रबंधन विशेष हो जाता हैं।

1. धार्मिक स्थल में प्रवेश तथा निकास के रास्ते अलग–अलग होने चाहिए।
2. प्रवेशद्वार तथा निकासद्वार पर्याप्त चौड़ा, ऊँचा तथा बिना किसी अवरोध के होने चाहिए।
3. प्रवेशद्वार से पहले मजबूत लोहे की ''जिग–जैग'' रेलिंग लगाई जावे, जिससे दबाव कम हो तथा आवश्यकता होने पर भीड़ को नियन्त्रित किया जा सके। रेलिंग आवश्यकतानुसार पर्याप्त लम्बाई में हो।
4. धार्मिक स्थल में जितने व्यक्तियों के प्रवेश की सुविधा हो, उससे ज्यादा व्यक्तियों के निकास की सुविधा होनी आवश्यक है।
5. प्रवेश तथा निकास के रास्ते एक से अधिक होने चाहिए।
6. आपात–स्थिती में निकास हेतु सुरक्षित रास्ते अवश्य हों।
7. वी.आई.पी के दर्शनों हेतु प्रवेश व निकास की अलग से व्यवस्था की जावे, ताकि उनके दर्शनों के दौरान आम–जनता को असुविधा नहीं हो।
8. धार्मिक स्थल तक पहुँचने हेतु पी.आई.पी रूट भी अलग हो तथा आम जनता के लिए अलग हो। आपात–स्थिती में इसी वी.आई.पी रूट का इस्तेमाल ऐम्बुलैंस तथा फायर–बिग्रेड की गाड़ियों हेतु किया जावेगा, अतः यह मार्ग पर्याप्त चौड़ा तथा बाधा–रहित होना चाहिए।
9. धार्मिक स्थल में फर्श पर पानी, नारियल पानी,धी, तेल जैसे तरल पदार्थ, प्रसाद आदि नहीं बिखरना चाहिए। इनसे फर्श पर फिसलन होती है, जो किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। मन्दिर परिसर में पर्याप्त रोशनी होनी आवश्यक है। आपात स्थिति हेतु जैनरेटर आवश्यक है।
10. धार्मिक स्थल के प्रवेशद्वार, निकासद्वार तथा मन्दिर के अन्दर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिससे भीड़ पर नजर रखी जा सके तथा असामाजिक तत्वों पर भी नियन्त्रण रखा जा सके।
11. धार्मिक स्थल परिसर में मेडिकल टीम आवश्यक संसाधनों सहित उपस्थित रहनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात–स्थिती में तुरन्त आवश्यक डॉक्टरी सहायता श्रद्धालुओं को मिल सके। तुरन्त डॉक्टरी सहायता के अभाव में अगर किसी श्रद्धालु की अकाल मृत्यु होती है, तो श्रद्धालुओं की भीड़ गुस्से के कारण अनियन्त्रित होकर आक्रामक भी हो सकती है।
12. धार्मिक स्थल परिसर एवं सम्पूर्ण मेला क्षेत्र हेतु ध्वनि–विस्तारक यन्त्रों का पर्याप्त इन्तजाम होना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को आवश्यक सूचना प्रसारित की जा सके। आपात–स्थिति मे सही ध्वनि–विस्तारक यन्त्र अफवाहों को रोकने में काफी सहायक हो सकते हैं।
13. धार्मिक स्थल परिसर में सफाई का विशेष इन्तजाम होना चाहिए।
14. मन्दिर परिसर के प्रवेश,निकास एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त–संख्या में सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए जावें।
15. धार्मिक स्थल परिसर में दर्शन उपरान्त श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से रुकने नहीं देना चाहिए, ताकि मन्दिर परिसर में भीड़ नियन्त्रित रहे।

16. धार्मिक स्थल परिसर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा–कर्मी रिजर्व के रूप में उपस्थित रहने चाहिए तथा इनके पास आपात स्थिति में निपटने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहने चाहिए, जैसे कि रस्से, ड्रेगन–टार्च, स्ट्रेचर, अग्नि–शमन यन्त्र आदि।
17. प्रवेश–द्वार पर डी.एफ.एम.डी लगाए जाने चाहिये। श्रृद्धालुओं की एच.एच.एम.डी. से फ्रिसकिंग की जावे तथा उन्हे अपने साथ थैला,बैग आदि लेकर प्रवेश नही देना चाहिए।
18. वर्जित सामान के साथ यात्रियों को लाईनों में ही प्रवेश नही करने देना चाहिए।
19. निःशक्तजनों हेतु अलग से प्रवेशद्वार होना चाहिए अथवा वी.आई.पी. गेट से प्रवेश कराया जा सकता है।इनके लिए व्हील–चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
20. पर्याप्त संख्या में सादा–वस्त्रों में भी सुरक्षाकर्मी तैनात करने चाहिए। जो असामाजिक तत्वो पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि छेड़छाड़, जेब–तराशी, चेन–स्नैचिंग, आंतककारी घटनाओं से बचा जा सके।
21. धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार व निकास द्वार के तुरन्त पूर्व व तुरन्त बाद में सिढियाँ या रेम्प नहीं होना चाहिये।
22. धार्मिक स्थल की सजावट हेतु की गई विधुत व्यवस्था पुर्णतया सुरक्षित होनी चाहिए।
23. भीड़ के समय मुख्य धार्मिक स्थल परिसर में प्रसादी, वस्त्र अथवा अन्य किसी प्रकार की सामग्री का वितरण नहीं होना चाहिये।
24. प्रवेश व निकास के रास्ते पर पानी का कुण्ड, कुआँ,गड्ढा, छत आदि अगर हों तो उन्हे बेरिकेडिंग कर मार्ग को सुरखित किया जाना चाहिए।
25. प्रवेश द्वार व निकास द्वार अलग होने के कारण श्रद्धालुओं के जूतों हेतु बेरिकेडिंग से पूर्व ही उचित स्थान पर निःशुल्क जूताघर अवश्य बनाए जावे, ताकि जूतो को वापस प्राप्त करने के दौरान अव्यवस्था नही हो।
26. धार्मिक स्थल में लगें पुजारी, मुजाविर, सेवादार निजी सुरक्षा कर्मी व अन्य स्टाफ का समय–समय पर चरित्र सत्यापन करवाया जाना चाहिये।
27. धार्मिक स्थलपर पुजारियों, मुजाविर, सेवादार की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि दर्शन समय कम लगे तथा भीड़ नियन्त्रित रहे।
28. धार्मिक स्थल के बाहर पर्याप्त खुली व बडी जगह रखनी चाहिये। बाहर पर्याप्त परिधी तक कोई फुटपाथी व सड़क पर कोई अतिक्रमण व स्थायी–अस्थायी दुकाने नहीं होनी चाहिये।
29. धार्मिक स्थल के भीतर व प्रवेश क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. केमरे लगने चाहिये।

# मेलाक्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था

निर्धारित मेला क्षेत्र का सुनियोजित प्रारूप बनाकर निम्नांकित व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए :–

1. मेलाक्षेत्र में प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा–कर्मी तैनात करनेचाहिए।
2. सादा–वस्त्रो में भी सुरक्षा–कर्मी तैनात किए जाने चाहिए ताकि भीड़ में छुपे हुऐ असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके।
3. मेला क्षेत्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जाने चाहिए, ताकि भीड़ पर नियन्त्रण रहे तथा असामाजिक तत्वों पर निगरानी रहे।
4. मेला क्षेत्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर ध्वनि–विस्तारक यन्त्र स्थापित किए जावें, ताकि श्रद्धालुओं तक महत्वपूर्ण निर्देश प्रसारित किए जा सकें। आपात स्थिति में इन्ही ध्वनि–विस्तारक यन्त्रो द्वारा आवश्यक जानकारी प्रसारित करवाकर अफवाहों को रोका जा सकता है, जिससे अनावश्यक अव्यवस्था नही हो।
5. धार्मिक स्थल की ओर आने वाले प्रमुख रास्तों पर बैरीकेड लगाकर भीड़ को नियन्त्रित रखाजावे। आवश्यकतानुसार मजबूत लोहे/लकड़ी की ''आड़ी–तिरछी''zig-zegरेलिंगलगाई जा सकती है।
6. सम्पूर्ण मेलाक्षेत्र में पर्याप्त रोशनी का प्रबन्ध करना अतिआवश्यक है। रोशनी के अभाव में रात्री के समय असामाजिक तत्वों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपराधिक कृत्य किया जा सकता है। आपात–स्थिति हेतु जनरेटरों या अन्य वैकाल्पिक उर्जा उत्पादन साधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहियें।
7. मेला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर मेडिकल–टीम मय आवश्यक दवाईयों के उपलब्ध रहनी चाहिए।
8. मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कचरा संग्रहण एवं निस्तारण की विशेष व्यवस्था की जावे। पर्याप्त मात्रा में कचरा पात्र रखे हों तथा इनका नियमित निस्तारण हो।
9. मेला क्षेत्र में मेलार्थियों तथा व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारियों/स्वयं–सेवकों के लिए जगह–जगह पर पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। यह व्यवस्था ऐसी हो कि अनावश्यक रूप से पानी नहीं फैले तथा मेला क्षेत्र में कीचड़ नही हो।
10. मेला क्षेत्र में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। इससे कचरे पर काफी हद तक स्वतः ही अंकुश लगेगा।
11. मेलाक्षेत्र में आपदा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिसमें विशेष रूप से आपात मार्ग और चिकित्सा के साथ भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
12. मेला क्षेत्र की दुकानों पर ज्वलनशील पदार्थो पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जावे, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो।
13. मेला क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर एम्बूलैन्स तथा अग्नि–शमन गाड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

14. मेला क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानो पर पर्याप्त मात्रा में रिजर्व बल उपलब्ध रहना चाहिए,जिनके पास आपातस्थिति से निबटने हेतु उपकरण जैसे रेस्से, ड्रेगन लाईट, हेलमेट, डण्डे, ढाल, जैकेट, अश्रु–गैस, स्ट्रेचर,अग्नि–शमन यन्त्र आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने चाहिए।
15. मेला क्षेत्र में बिकने वाले खाद्य–पदार्थो की गुणवत्ता चैक करने हेतु खाद्य–निरीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा खाद्य–निरीक्षक द्वारा प्रत्येक दिन कम से कम पाँच से दस नमूने जाँच हेतु लेने चाहिए।
16. मेला क्षेत्र मे खाद्य–सामग्री की उचित मूल्य पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं का शोषण नहीं हो। अत्यधिक शोषण भी कई बार श्रद्धालुओं के गुस्से का कारण बनता है।
17. मेला क्षेत्र मे मेलार्थियों व श्रद्धालुओं के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। धर्मशालाओं, अतिथिगृहों के अतिरिक्त अस्थाई शामियानें लगाए जा सकते है। इसके लिए धार्मिक ट्रस्ट तथा धार्मिक गैर–सरकारी संस्थाओं एवं ट्रस्टों को प्रेरित करना चाहिए।
18. मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्थाई एवम् अस्थाई/चल शौचालयों कीव्यवस्था होनी चाहिए। मेला क्षेत्रो में गन्दगी का एक कारण पर्याप्त मात्रा में शौचालयो का नही होना भी है।
19. मेला क्षेत्र में बिजली के तार कटे–फटे, खुले व झूलते हुएनहीं होने चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो भूमिगत होने चाहिए अथवा इन्सूलेटड–वायर काम में लेना चाहिए।
20. मेला क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रमुख स्थानों पर वाच–टावर बनाने चाहिए।
21. जिस मेला क्षेत्र में नहाने के कुण्ड या तालाब हों, वांह पर गोताखोर की नियुक्ति आवश्यक है। सीढियों पर पकड़ने हेतु लोहे की जंजीरें होनी चाहिये। सुरक्षा में लगे जाब्ते के पास लाईफ–जैकेट, रस्सी तथा रबर–ट्यूब होनी चाहिये। जहां पानी 4–5फीट से गहरा हो वहां अन्दर जाल अथवा रस्से आदि लगाकर अवरोधक बनाए जाने चाहिये। खतरे के निशान वह बड़े–बड़े सूचना बोर्ड लगवाए। जहां तालाब बड़ा हो तो नाव की भी व्यवस्था की जावे।
22. मेलाक्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं व मार्ग सूचना हेतु पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगे होने चाहिए उसमें सेक्टर प्रभारी सहित नियंत्रण कक्ष के नंबर अवश्य दिए जावे।
23. मेलार्थी/आगन्तुक को मेला क्षेत्र में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी तथा मार्गदर्शन हेतु मेला नियम व निर्देश पट, बोर्ड,पेंपलेट तथा डिजीटल सूचना व निर्देश पट बनवाए जा सकते हैं।
24. मेलाक्षेत्र में स्थित होटल, धर्मशाला व डेरों की नियमित,आकस्मिक चेकिंग कराई जानी चाहिए ,जिससे असामाजिक तत्वों में भय बना रहे।
25. मेला क्षेत्र को सेक्टरों में बांटकर उनकी व्यवस्था हेतु मेला–मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को प्रभारी बनाना चाहिए।
26. मेलाक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुउद्देशीय सहायता केंद्र स्थापित करने चाहिए जिनमें पुलिस अधिकारी मय बल के, मजिस्ट्रेट, चिकित्सा दल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहें।
27. यात्रियों के सामान को सुरक्षित जमा रखने हेतु अमानत घर/क्लॉक रूम स्थापित किए जा सकते हैं।
28. मेलाक्षेत्र में लगे सभी पुलिस कर्मियों व अन्य विभागों के कर्म कर्मचारियों व स्वयं–सेवक द्वारा श्रद्धालुओं से व्यवहार अत्यंत ही शालीन और मर्यादित होना चाहिए।

29. मेलाक्षेत्र में व्यवस्थाओं हेतू स्वयं सेवकों के साथ स्थानीय शिक्षण संस्थाएं, तकनीकी महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं, स्काउट गाइड, एन.सी.सी व एन.एस.एस की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उन्हें पहचान वास्ते बिल्ले या परिचय पत्र अवश्य दिए जाने।
30. मेला क्षेत्र मैं विभिन्न व्यवस्था हेतु विभिन्न सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल करते हुए अलग–अलग प्रबंधन समितियां बनाई जानी चाहिए।
31. मेला क्षेत्र में लगने वाले भंडारे, अस्थाई होटल, ढाबे प्रशासन की अनुमति प्राप्त कर ही लगने चाहिए। अनुमति से पूर्व प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण आवश्यक रूप से कराना चाहिए। भंडारे, अस्थाई होटल, ढाबे सड़क से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाने चाहिए ताकि आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।
32. बाल–विकास विभाग की ओर से मेले में खोए हुए बच्चों की देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए।
33. मेला क्षेत्र में लगने वाली अस्थाई दुकानें, होटल व ढाबों व व्यावसायिक प्रकृति के अन्य काम करने वाले व्यक्तियों के स्थाई निवास की जानकारी हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति स्वीकृति से पूर्व प्राप्त करनी चाहिए।
34. संबंधित नगर पालिका, ग्राम पंचायत द्वारा मेला स्थल पर आवारा पशुओं को मेले क्षेत्र से दूर रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी कारण से कोई पशु आ भी जाए तो नियंत्रित करने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
35. अगर मेले के साथ पशु मेले का भी आयोजन हो तो उसे यथा–संभव मुख्य मेला–क्षेत्र से पर्याप्त दूरी पर आयोजित किया जावे। पशुओं हेतु पर्याप्त पानी छाया की व्यवस्था की जावे। उचित दर पर तथा पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था की जावे। पशु–पालन विभाग द्वारा पशुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जावे। प्रत्येक पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक हो तथा बीमार पशुओं को तुरंत मेला क्षेत्र से दूर किया जाए, ताकि दूसरे पशुओं में संक्रमण नहीं फैल। पशु क्रूरता अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावे।
36. मेला क्षेत्र में लगने वाली अस्थाई–स्थाई दुकानों के मालिकों व कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन होना चाहिए। इनके नामों की सूची प्रति मेला अधिकारी, पुलिस प्रशासन व नियंत्रण कक्ष को दी जानी चाहिए।
37. पूर्व में मेला आयोजन में जिन गुटों में झगड़े या मुकदमे हो रखे हैं, उनके विरुद्ध निषेधात्मक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
38. मेले में पूर्व वर्षों के दौरान घटी घटनाओं का पूर्ण विश्लेषण किया जाकर, पूर्व में रही कमियों का निराकरण किया जाना चाहिए।इनमें किसी गुट गिरोह या व्यक्ति–विशेष के कारण हो तो, उनका मेले में प्रवेश रोकना चाहिए।
39. अस्थाई दुकानें मुख्य सड़क को छोड़कर लगाई जानी चाहिए।
40. बारिश के मौसम में मेला क्षेत्र में पानी की निकासी हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
41. मेले क्षेत्र में आयोजित/प्रदर्शित होनें वाले सास्कृतिक या प्रदर्शनात्मक कार्यक्रम फूहड़ वअमर्यादित नहीं होने चाहिये तथा वे किसी की भावना या सौहार्द को आहत पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिये।

# यातायातएवंपार्किंगहेतुसुरक्षाव्यवस्था

मेला क्षेत्र में आवागमन के मार्ग, यातायात के साधन व उनकी पार्किंग की व्यवस्था मेला प्रबंधन का प्रमुख अंग होता है। प्रभावी व समुचित यातायात–पार्किंग व्यवस्था किसी भी दुर्घटना को टालने व बचाव के समय सबसे ज्यादा मददगार होती है। अतः इसओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

1. बड़े व छोटे वाहनों को मुख्य मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इन्हें रोकने हेतु पर्याप्त मात्रा में जाब्ता तथा बैरियर लगाने चाहिए।
2. मेला क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में इन वाहनों हेतु पर्याप्त चार दिवारी युक्त पक्के पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए।.
3. पार्किंग क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश तथा निकालने की अलग–अलग व्यवस्था होनी चाहिए।
4. वाहनों के चालकों–परिचालकों के ठहरने, खाने–पीने एवं शौचालय की व्यवस्था पार्किंग क्षेत्र में ही अथवा उनके निकट होनी चाहिए।
5. वृद्ध एवं असहाय लोगों हेतु पार्किंग स्थल से प्रदुषण रहित इलेक्ट्रीक तिपहीया वाहन की व्यवस्था की जा सकती हैं।
6. मेला मार्गों एवं पार्किंग हेतु विभिन्न जगहों पर मार्गदर्शन बोर्ड लगाये जाने चाहिये।
7. मेला क्षेत्र की और आने वाले प्रमुख मार्गों पर अलग–अलग पार्किंग क्षेत्र एव बस स्टैंड विकसित किए जाने चाहिए ।
8. मेलार्थियों की संख्या का पूर्वानुमान लगाकर उसी के अनुरूप वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
9. मेला क्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न मार्गो को आपस में जोड़ा जा सकें तथा आवश्यकता होने पर यातायात को दूसरे मार्गों की ओर मोड़ा जा सके।
10. मेला क्षेत्र की और वाहनों के आने पर जाने के मार्ग अलग– अलग होने चाहिए। एक–तरफा यातायात व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति से बचा जा सके।
11. वाहनों की छत पर यात्रियों को बैठने नहीं देना चाहिए, इससे गंभीर दुर्घटना की संभावना रहती है। यदि संभव हो तो यात्री बसों की छत के कैरियर हटवा देन चाहिए।
12. वाहनों में भीड़ नियंत्रित–सीमा में हो तथा छतों पर यात्री नहीं हो, इसके लिए मेले के दौरान पर्याप्त मात्रा में वाहनों की उपलब्धता अति आवश्यक है।
13. मेला क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग सुचारू यातायात हेतु पर्याप्त संख्या में यातायात–कर्मी नियुक्त किए जाने चाहिए।
14. प्रमुख मार्गों पर मोबाइल टीमें भी लगाई जाएं।
15. प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस के नियंत्रण में क्रेन आवश्यक उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि किसी वाहन के खराब होने पर अथवा गलत पार्किंग करने पर, तुरंत हटाया जा सके तथा यातायात–जाम जैसी स्थिति से बचा जा सके।
16. अगर मेला क्षेत्र में मोटर–गैराज वह टायर पंचर ठीक कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो, इसकी अस्थाई व्यवस्था करनी चाहिए।
17. मेले से पार्किंग स्थल की पर्याप्त दूरी होनी चाहिए।

18. पार्किंग निशुल्क अथवा नाम–मात्र के शुल्क पर होनी चाहिए। पार्किंग को आमदनी का स्रोत ना बनाया जाए।
19. पार्किंग स्थल पर सी.सी.टी.वी. ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे होने चाहिए।
20. मेलों के दौरान सड़क पर निशुल्क शिविर भंडारे जिला कलेक्टर की अनुमति एवं पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर लगने चाहिए तथा सड़क मार्ग सीमा से कम–से कम 50 फुटकी दूरी पर लगाई जावे।
21. वाहन चालकों की आंखों तथा शराब सेवन संबंधित जांच होनी चाहिए।
22. पुलिस नाकों, यातायात अवरोधक व पार्किंग स्थल पर पुलिस के साथ–साथ मेला आयोजन कार्यकारिणी के सदस्य स्वयं–सेवकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पुलिस व जनता में समन्वय बना रहे।
23. मेला क्षेत्र में यदि कोई झांकी या शोभायात्रा निकलनी हो तो उसका यात्रा मार्ग पूर्व निर्धारित व निश्चित होना चाहिए, यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व संबंधित मार्ग को खाली रखना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए किकोई झांकी, प्रदर्शन राष्ट्रविरोधी, अशोभनीय,आपतिजनक, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने या किसी की आस्था को आघात पहुंचाने वाला नहीं हो।

# मेला नियंत्रण कक्ष

मेला नियंत्रण कक्ष मेला प्रबंधन का वह विश्वसनीय व जवाबदेह स्थल होता है, जिस पर मेले की सुरक्षा व व्यवस्था का प्रत्यक्ष जिम्मा होता है। अतः सक्षम नियंत्रण कक्ष का कुशल संचालन मेले की सफलता हेतु आवश्यक है।

1. मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थान से जहां मेला क्षेत्र नियंत्रित हो सके ,स्थाई एवं पक्का मेला नियंत्रण–कक्ष का निर्माण करवाया जाना चाहिए। इसके लिए मंदिर–ट्रस्ट अथवा धार्मिक या सामाजिक गैर–सरकारी संस्था या ट्रस्ट का सहयोग लिया जा सकता है।
2. मेला नियंत्रण–कक्ष में एक मेला अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो व्यवस्था में लगे विभिन्न सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संस्थाओं, धार्मिक ट्रस्ट स्वयं सेवको व मेलार्थियों के मध्य समन्वय का कार्य करें तथा मेले के दौरान आने वाली समस्याओं का निराकरण करवा सकें। मेला अधिकारी उपखंड अधिकारी या उससे उच्च–स्तर का अधिकारी होना चाहिए।.
3. मेला नियंत्रण–कक्ष में तीन सहायक मेला–अधिकारी या नियंत्रण–कक्ष प्रभारियों की नियुक्ति आठ–आठ घंटों के हिसाब से की जानी चाहिए,ताकि नियंत्रण–कक्ष चौबीसों–घंटे का कार्य कर सकें।
4. मेला नियंत्रण–कक्ष में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहने चाहिए।
5. मेला नियंत्रण–कक्ष में आवश्यक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य,बिजली. पानी, सुरक्षा, अग्निशमन, आदि से संबंधित विभागों का एक दल हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए।
6. मेला नियंत्रण कक्ष में पुलिस विभाग का एक उच्च अधिकारी उपस्थित रहना चाहिए तथा उसके नियंत्रण में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व–बल मैं आवश्यक संसाधनों के साथ उपलब्ध रहना चाहिए।
7. मेला नियंत्रण–कक्ष में पर्याप्त मात्रा में रस्सा, ड्रैगन–लाइट अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार सामग्री, स्टेचर, वाहन, एंबुलेंस, फायर–बीग्रेड, टॉर्च, क्रेन आदि उपलब्ध रहने चाहिए।
8. मेला नियंत्रण–कक्ष में लेण्ड लाईनव मोबाईल टेलीफोन सुविधा फैक्स मशीन,प्रिंटर वायरलेंस,ऑपरेटर सहित कंप्यूटर मयइन्टरनेट उपलब्ध रहने चाहिए।
9. मेला क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटर नियंत्रण कक्ष में भी लगा होना चाहिए।
10. मेला क्षेत्र में लगे सभी ध्वनि–विस्तारक यंत्र का संबंध नियंत्रण कक्ष से हो, जिससे आवश्यक निर्देश पर जानकारी प्रसारित की जा सके।
11. मेला अधिकारी, पुलिस प्रभारी, नियंत्रण कक्ष प्रभारियों विभिन्न विभागों के कर्मचारियों तथा रिजर्व पुलिस बल के ठहरने हेतु पर्याप्त व्यवस्था मेला नियंत्रण–कक्ष में ही होनी चाहिए।
12. मेला नियंत्रण–कक्ष में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों, मेला–ड्यूटी में लगे अधिकारियों, थाना,अस्पताल, नगर पालिका, प्रशासनिक अधिकारी आदि के फोन नंबर मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध रहने चाहिए जिससे आवश्यकता होने पर इन से संपर्क किया जा सके।

13. मेला नियंत्रण–कक्ष मैं यह जानकारी उपलब्ध रहनी चाहिए, कि किसी आपात स्थिति में किन–किन सम्बंधितविभागोंसम्बंधित के अधिकारियों से किन नंबर पर संपर्क करना है। जैसे आग लगने पर किन किन वभागों से संपर्क करना है, सड़क दुर्घटना होने पर किन विभागों से संपर्क करना है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में घायल होने पर किन विभागों से संपर्क करना है, आतंकवादी घटना होने पर किन विभागों से संपर्क करना है, आदि।
14. मेला नियंत्रण–कक्ष में यह जानकारी उपलब्ध रहनी चाहिए, की दुर्घटना या आपात स्थिति में किन–किन उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचना करना आवश्यक है।
15. मेला नियंत्रण कक्ष में ही अलग से पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा अस्थाई थाना भी होना चाहिए।
16. मेला नियंत्रण–कक्ष में मेले से संबंधित समस्त जानकारी, जो ड्यूटी में लगे हैं कर्मचारियों तथा श्रद्धालु हेतु आवश्यक है, हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए।
17. मेला नियंत्रण–कक्ष में एक टोल फ्री नंबर प्राप्त कर, सहायता केंद्र खोला जा सकता है।
18. मेला नियंत्रण–कक्ष में मेले के दौरान आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा–कर्मी मय पायलट व एस्कॉर्ट वाहन के हमेशा अलग से उपलब्ध रहने चाहिए।
19. लंबी अवधि तक चलने वाले मेलों में व्यवस्था में लगे अधिकारियों, स्वय–ंसेवक तथा कानून व्यवस्था में लगे पुलिस बल के ठहरने हेतु उचित व्यवस्था स्थाई रूप से होनी चाहिए। आवासीय व पेयजल सुलभ कंपलेक्स एवं उचित दर पर स्वच्छ भोजन की व्यवस्था की जावे। महिलाओं हेतु अलग से आवास व्यवस्था आवश्यक है।
20. मेला नियंत्रण–कक्ष में जिले के आपदा नियंत्रण प्लान एवं कंटीन्जेसी प्लान की प्रति उपलब्ध रहने चाहिए तथा उसी के अनुरूप समस्त सामान उपलब्ध रहना चाहिए।
21. संपूर्ण मेला क्षेत्र एक विस्तृत सुनियोजित मानचित्र सेक्टर प्लान सहित होना चाहिए, जिससे सभी मार्गों व सुविधाओं सहित कौन सी चीज कहां है का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए।इन्हें मेले के प्रमुख स्थलों पर भी लगायें जा सकते हैं।

# पदयात्राएं एवं परिक्रमाएं

प्रदेश में धार्मिक मेलों के साथ पदयात्राएं एवं परिक्रमाएं भी श्रद्धा आस्था के रूप में आयोजित होती हैं। अतः इनकी प्रभावी सुरक्षा व आयोजनीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए।

1. पदयात्रा एवं परिक्रमा मार्ग पूर्व में निर्धारित व चिन्हित होने चाहिए।
2. विभिन्न प्रदेशों वजिलों से आने व गुजरने वाली पदयात्राओं के संबंध में संबंधित प्रदेश व जिला अधिकारियों को इनकी सूचना व आपसी समन्वय होना चाहिए।
3. पदयात्रा एवं परिक्रमा मार्गो से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की अनुमानतःसंख्या का पुर्वामान होना चाहिए, तदनुरूप ही मुख्य श्रृद्धाा मेला स्थल व मार्गों में व्यवस्था तथा सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
4. पदयात्रा समूहों व मंडलों का पूर्व में पंजीयन भी आमंत्रित किया जा सकता है। तथा उनसे उनके द्वारा यात्रा कार्यक्रम व की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है।
5. पदयात्री सड़क के किनारे या नीचे कच्ची सड़क पर ही चले। कच्ची सड़के साफसुथरी व कंकर रहित सुगम हों।
6. संबंधित जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र से निकलने वाली पदयात्रा मार्ग को सुव्यवस्थित व निर्धारित करें जिससे श्रद्धालु कष्ट रहित यात्रा कर सके।
7. पदयात्रा मार्ग में पेयजल, अस्थाई शौचालय तथा छायादार विश्राम स्थलों के साथ–साथ आयोजकों या सेवादारों द्वारा उचित खानपान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिये।
8. यात्रा मार्ग,विश्राम स्थलों पर चिकित्सा तथा एंबुलेंस की व्यवस्था हो।
9. पद यात्रा मार्ग पर थाना क्षेत्र के अनुसार पुलिस सुरक्षा व गस्त की प्रभावी व्यवस्था हो।
10. पद यात्रियों के रात्रि संचलन करने पर उन्हें रेडियम बेल्टया टोपीयों की व्यवस्था की जा सकती है, जिसकी चमक से वाहन चालक सतर्क रहकर ड्राइविंग कर सकते हैं।
11. पदयात्री समूह के पास कोई गैर जरूरी व अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए।
12. पदयात्रियों के शिविरों में चोरों की प्रभावी रोकथाम की जानी चाहिए।
13. पदयात्रियों की भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुसपैठ न करने पाए।
14. पदयात्रा के मार्ग पर जगह–जगह रेडियम मार्गदर्शन बोर्ड लगाए जाने चाहिए।
15. पदयात्रा मार्गों पर सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालकों की गति सीमा को नियंत्रित व सुरक्षात्मक स्लोगनों को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
16. पदयात्रियों के शिविर या विश्राम स्थल सड़क सीमा से पर्याप्त सुरक्षा सीमा की दूरी पर अवस्थित किये जाने चाहिए।

# भूमिका

राजस्थान देश के सबसे बड़े भू–भाग वाला एक समृद्ध एवं सांस्कृतिक प्रदेश है। जहां मेले व उत्सव जीवन का अभिन्न अंग है।

यहां आयोजित होने वाले धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पशु मेले जहां एक और लोक जीवन को सरस बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही समाज के बहुआयामी विकास की तस्वीर भी प्रदर्शित करते हैं।

प्रदेश की इस पारंपरिक मेला संस्कृति को संरक्षित, संवर्धित, सुरक्षित करने एवं उसके समग्र विकास तथा उनके प्रभावी विनियम और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के ध्येय से सन 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा ''राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण'' का गठन किया गया।

लोक कल्याणकारी राज्य सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि प्रदेश में आयोज्य मेलों एवं उत्सवों का सुव्यवस्थित व दुर्घटना रहित आयोजन हो, जिससे किसी को कोई असुविधा ना हो तथा मेलार्थी अपनी धार्मिक,सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं का निर्बाध निर्वहन कर सके।

राज्य में मेलो की सुरक्षा, संरक्षा व संरक्षण के ध्येय से राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा मेला आयोजकों व प्रशासन के मार्ग निर्देशन एवं पालना हेतु एक मानक एवं उपयोगी ''मेला प्रबंधन निर्देशिका''का प्रकाशन किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह निर्देशिका जहां एक और प्रदेश में मेलों के कुशल प्रबंधन की प्रतिबद्धता को दिग्दर्शित करेगी साथ ही राज्य में मेला–उत्सव संस्कृति को प्रोत्साहित भी करेगी।